न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 196/2016

हरबंस कौर पत्नी जरनैलसिंह जाति जटसिख निवासी 3 के एच.एम. तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर। —अपीलार्थी

बनाम

1. छिन्द्रकौर पुत्री दर्शनसिंह जाति मेहरा निवासी मोहला तह0 श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. परमजीत कौर पुत्री दर्शनसिंह जाति मेहरा निवासी मोहला तह0 श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. सरपंच ग्राम पंचायत 22 आर.जे.डी.तह0 घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्त.अधि. 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी घडसाना दिनांक 08.11.2016

उपस्थितिः-

श्री परमजीतसिंह मेहरा अभिभाषक अपीलार्थी

श्री एम.एल.बाना अभिभाषक रेस्पों. 1, 2

निर्णय दिनांक 22.05.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि इस अपील के रेस्पों. सं. 1, 2 ने एक अपील उपखण्ड अधिकार घडसाना के समक्ष तहसीलदार घडसाना के आदेश दिनांक 20.04.2012 के विरूद्ध पेश करने पर उपखण्ड अधिकारी घडसाना ने दिनांक 30.06.2016 को अपील स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार घडसाना को रिमाण्ड किया गया। उक्त रिमाण्ड आदेश पारित होने के पश्चात इस अपील की अपीलांट हरबंसकौर ने एक प्रा.पत्र उपखण्ड अधिकारी घडसाना के समक्ष आदेश 41 नियम 21 सीपीसी का पेश कर एकपक्षीय आदेश दिनांक 18.04.16 व 30.06.16 को निरस्त कर अपील में पुनः सुनवाई करने के आदेश दिये जावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

22/5/18

राजस्व अपील प्राधिकारी

श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अधी. न्यायालय में प्रा.पत्र आदेश 41 नियम 21 सीपीसी पेश किया था जो अधी. न्यायालय ने बिना किसी आधार के खारिज कर दिया। अपीलांट ने प्रकरण गुणावगुण के आधार पर निर्णय करने हेतु अधी. न्यायालय को रिमाण्ड करने का निवेदन किया जबकि वकील रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी घडसाना द्वारा दिनांक 30.06.2016 को प्रकरण रिमाण्ड किया गया था। ऐसी स्थिति में पुनः रिमाण्ड करने का कोई औचित्य नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अधी. न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी घडसाना द्वारा दिनांक 30.06.2016 को प्रकरण रिमाण्ड किया गया। उक्त आदेश पारित होने के पश्चात हरबंस कौर ने दिनांक 02.09.2016 को प्रा.पत्र आदेश 41 नियम 21 सीपीसी पेश किया जो उपखण्ड अधिकारी घडसाना द्वारा दिनांक 08.11.2016 को खारिज कर दिया। चुंकि उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 30.06.2015 को रेस्पों. हरबंसकौर आदि के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए आदेश पारित किया गया था। एकतरफा कार्यवाही को निरस्त करवाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रा.पत्र आदेश 41 नियम 21 सीपीसी पेश किया। अतः न्यायहित में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी घडसाना का आदेश दिनांक 08.11.2016 निरस्त किया जाता है एवं उपखण्ड अधिकारी घडसाना द्वारा आदेश दिनांक 30.06.2016 को पारित रिमाण्ड प्रकरण में तहसीलदार घडसाना रिमाण्ड आदेश की पालना में अपीलांट/सभी पक्षकारों को सुनकर आदेश पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर